

38

मध्य प्रदेश शासन
आच # क्रमांक... 645
दिनांक... 24/11/17
संसदीय कार्य विभाग

फॉर्म

*अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2016 (31.12.2016 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश गुप्ता (संसदीय कार्य विभाग) 2. पद - अपर सचिव
3. वर्तमान वेतन 37400+8700 ग्रेड पे 4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख - 01.07.2017

उस संभाग, जिले, उप ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बताएं कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है?	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया? ***खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो।	सम्पत्ति से आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	एम-60, संत आशाराम नगर बाग सेवनिया, भोपाल	-	रुपये 20,00,000/- (लगभग)	-	मे. आसनानी बिल्डर्स से दिनांक 18.1.06 को प्लॉट क्रय कर बालाजी कंस्ट्रक्शन से निर्माण कार्य कराया गया। अप्रैल, 2008 में आधिपत्य प्राप्त किया। (बैंक से ऋण एवं सा.भ.नि. से आंशिक अंतिम आहरण द्वारा)	रुपये 66,000/- (लगभग)	-

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में, जहाँ मूल्य सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर

(राजेश गुप्ता)

पद एवं विभाग - अपर सचिव

संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग
आ.स. उ.भा.उ. 646
दिनांक 24/1/17


फार्म

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2016

- (1) अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो महेन्द्र सोनूने, संसदीय कार्य, उप सचिव विभाग
(2) वर्तमान धारित पद उप सचिव (3) वर्तमान वेतन 50000 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2017



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति की वार्षिक आय	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भंदा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश	आकृति बिल्डर से, हाईलेण्ड प्रोजेक्ट के तहत - डू-प्लेस भवन 600 स्क्वयर फीट बुक किया गया है। अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ।	-	12 लाख	स्वयं के नाम	पीएनबी हाउसिंग फायनेश कंपनी से 7.00 लाख ऋण लेकर डू-प्लेस, आकृति बिल्डर से क्रय किया गया है।	अभी अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ।	
अवनी स्कूडर, साईनाथ नगर, नियर महाबली नगर, कोला रोड, भोपाल।	श्री बीएचके प्लेट, साईनाथ नगर, कोलार रोड, भोपाल	-	27 लाख	स्वयं के नाम	एलआईसी हाउसिंग फाईनेश से 24 लाख ऋण प्राप्त कर प्लेट का अधिपत्य जनवरी, 17 में प्राप्त किया गया।		-


(महेन्द्र सोनूने) 24.1.17
उप सचिव,
संसदीय कार्य विभाग


फार्म

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2016

(1) अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो बृजराजेश्वर शर्मा संसदीय कार्य विभाग (2) वर्तमान धारित पद अवर सचिव (3) वर्तमान वेतन 21,990 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जूलाई 2017

उस जिले, उप संभाग का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		• वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	-	आवासीय भूमि	रुपये 8 लाख के लगभग	-	श्री प्रहलाद गोयल 18 श्यामला हिल्स भोपाल से कय की गई वर्ष 2005 में।	-	-
गुना	-	आवासीय भूमि	रुपये 15 लाख के लगभग	-	पिता श्री पं भुवनेश्वर शर्मा निवासी गुना द्वारा प्रदाय की गई।	-	-

- जहां लागू ना हो काट दीजिये।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाये।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है
- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम, नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर...  23/11/17

नाम - बृजराजेश्वर शर्मा
पद - अवर सचिव
विभाग - संसदीय कार्य



645
24/11/17

40

मध्य प्रदेश शासन
 श्रमिक कर्मचारी 468
 दिनांक 19/11/17
 संसदीय कार्य विभाग



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महेश कुमार राजोरिया 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
 3. वर्तमान वेतन 19860+6600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2016

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आभयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंतर			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-प्राप्त पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपत्र-767-अमसाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर [Signature] 18/11/17

नाम महेश कुमार राजोरिया

पद अवर सचिव

विभाग संसदीय कार्य विभाग

41

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 1060
दिनांक 4/2/19
संवर्धन कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविनीला तिवारी 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख




रस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भूना मण्डल जानकी नगर भोपाल	18x40 फी काट का स्वयं के द्वारा निर्मित डुप्लेक्स मकान	स्वयं के द्वारा क्रय	लगभग रु. 14,00,000/- (चौदह लाख) अनुमानित	स्वयं	वर्ष 2003 में कृषि गृह निर्माण कमिटी द्वारा द्वारा लोन SBI बैंक से लोन लेकर मकान का निर्माण कार्य कराया	96,000/- (रु. दाने द्वारा) केवल किराया

जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर रविनीला तिवारी
नाम (रविनीला तिवारी)
पद अवर सचिव
विभाग संवर्धन कार्य विभाग

42



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो म.प्र. शासन, संसदीय कार्य विभाग वर्तमान धारित पद इन्सुआग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला- झापाबा संभाग- झापाबा	गृह	म.प्र. शासन संसदीय कार्य विभाग	इन्सुआग 30-जारव	स्वयं के नाम	दि. 16-1-16 का राजबंद गृह निर्माण इन्सुआग समिति, झापाबा संसदीय कार्य विभाग पर वर्ष 2016 में मकान बनवाया।	निल	

श्री अमरक सिंह

19/1/17

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे फार्म में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-बाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमधो-767-अमसाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर

19-1-17

नाम रविन्द्र महाडिकपद इन्सुआग अधिकारीविभाग म.प्र. शासन, संसदीय कार्य विभाग



44

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016 (31.12.2016 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कु. द्याया जोनारे (संसदीय कार्य विभाग) 2. वर्तमान धारित पद निजी सचिव

3. वर्तमान वेतन री. 16250 + 4200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2017

रजस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अंतर्गत विभाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर कु. द्याया जोनारे 19/1/17
 नाम कु. द्याया जोनारे
 पद निजी सचिव
 विभाग संसदीय कार्य विभाग

45

मध्य प्रदेश शासन
 आंक क्रमांक 474
 दिनांक 19/01/17
 सरकारी कार्य विभाग



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विष्णु कुमार जायसगी** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक गेड-1**
 3. वर्तमान वेतन **13310+ गेड 3600** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2017**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बाराबंकी, मीरपुर	पट्टा	-		पट्टा भवन की माइया के नाम से आधा-आधा-	पट्टा मकान की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टेट बैंक से ऋण लेकर बनाया पूर्व में गृह विभाग द्वारा बैंक लिखा गया था।		

19-1-17 टिप्पणी

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अंशोंन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **Mr. R. K. Singh**
 नाम **विष्णु कुमार जायसगी**
 पद **सहायक गेड-1**
 विभाग **सहायक कार्य विभाग**



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हल्कू सिंह पट्टी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड 1
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2017

46

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	मकान 7.75 लाख लगभग	-	7.75 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	कय दिनांक 03-2007 को से भूखण्ड लेकर तथा सामान्य भविष्य निधि से शिखर (श्री महेश कुमार नेमा) से खरीद कर लिया		

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर हल्कू सिंह पट्टी
 नाम हल्कू सिंह पट्टी
 पद सहायक ग्रेड-1
 विभाग संसाधन कार्य विभाग

47

मध्य प्रदेश शासन
 आयक क्रमांक 998
 दिनांक 4/2/17
 संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो धर्मचन्द्र पटेल 2. वर्तमान धारित पद सहायक डी०-१
 3. वर्तमान वेतन 12650 + 3600. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
झोपाडा	LI 6- 4/7 विधानगर दिसांग नगर 203 झोपाडा	-	1.60 लाख	श्रीमती विमला देवी पत्नी	सेन्ट्रल डी-3 25 नम्बर मार्केट झोपाडा के झूठा डालन कर	-	-
do	-	लॉट नं. 109, 958 वर्ग फिट अम (10055) एच. कुमर जिका झोपाडा	5,50,000/-	धर्मचन्द्र पटेल (वैय)	एच.आई.की. 413, सिटी फाइनेन्स प्रि. अरेरा शास्त्रिक झोपाडा के झूठा डालन कर	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Debate
 नाम धर्मचन्द्र पटेल
 पद सहायक डी०-१
 विभाग म.पु. शासक, संसदीय कार्य विभाग
 विन्दिमानचक प्रक. द्वितीय नं. 1 झोपाडा

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो इंनक सिंह पाल 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-1
3. वर्तमान वेतन 10,460 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
भोपाल पिपलया कुंजनगढ़	-	भूमि 4 एकड़	20,000/- लगभग	स्वयं के नाम	पैतृक	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1957 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने भाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमधो-767-अससाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर

नाम

पद

विभाग

इंनक सिंह पाल

सहायक ग्रेड-1

संरक्षक कार्य विभाग

50

सं- 2932
आयक सं 20-3-17
दिनांक.....
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

महासिंह मराठी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड-1

3. वर्तमान वेतन

10,460.00

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई, 2017



इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				निर्वाक		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेंम्पों-767-अमसाप्रवि-18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर

(Signature)
महासिंह मराठी

नाम

महासिंह मराठी

पद

सहायक ग्रेड-1

विभाग

संसदीय कार्य विभाग



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नामदेव डिगारसे स.का.वि. 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-2
3. वर्तमान वेतन 10250 + 2400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	LF-21, 48 हाऊसिंग बोर्ड जेडुनगर भोपाल		6,20,000	स्वयं के नाम	दिनांक 26.7.2000		52

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-जाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर N. D. 2017नाम नामदेव डिगारसेपद सहायक ग्रेड-2विभाग स.का.वि.

53

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

शुद्ध प्रतिलिपि शाखा
अचल सम्पत्ति 106.6
दिनांक 6/2/17
संयोजित कार्य विभाग



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मीनाक्षी सम्सेना 2. वर्तमान धारित पद सहायक सूज-2
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2017

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - अरवलिया कर्म श्रीपाल	- -	भूखण्ड	1,50,000	- -	13.2.2013 (खरीद) विभाग की अचल एवं विभाग द्वारा प्राप्त श्री प्रहलाद सिंह गौर ग्राम - लाम्बाखेड़ा तहसील - डुमुर जिला - श्रीपाल		

जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम श्रीमती मीनाक्षी सम्सेना
पद सहायक सूज-2
विभाग संयोजित कार्य विभाग

54

मध्य प्रदेश भारत
कृषि विभाग 521
दिनांक 19/1/17
सहायक कृषि अधिकारी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पी. शोबिन
- 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3
- 3. वर्तमान वेतन 6650+1900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-17

54



जिस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				निरंक		

15-1-17

जहां लागू न हो काट दीजिए।
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर पी. शोबिन
नाम पी. शोबिन
पद सहायक ग्रेड-3
विभाग सहायक कृषि विभाग

55

मध्य प्रदेश शासन
 आर्थिक विभाग 538
 दिनांक 20/1/17
 संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंजली ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सहायक जेड-3
 3. वर्तमान वेतन 5680 + 1900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/17

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			तिरक			



* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अर्थनेत्रा पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Anjali
 नाम अंजली ठाकुर
 पद सहा. जेड-3
 विभाग संसदीय कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन
 आव 5 क्रमांक 6942
 दिनांक 29/8/17
 संसदीय कार्य विभाग



पता

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: देवेंद्र सिंह दीवान
2. वर्तमान धारित पद: अधीनस्थ 3
3. वर्तमान वेतन: 65041900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 1.7.2017

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			NIL		NIL		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** एरो मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-व्यापार पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: देवेंद्र सिंह दीवान
 पद: अधीनस्थ 3
 विभाग: संसदीय कार्य विभाग


मध्य प्रदेश शासन
 आ.स.स. 694/.....
 दिनांक 28/8/2017
 संसाधन विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: राजू मुंजवार
 2. वर्तमान धारित पद: सहायक ग्रा.स-3
 3. वर्तमान वेतन: 9110 अगली वेतनवृद्धि की तारीख: जुलाई 2017

57

इस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	—————			निल			

रॉय सानप
 28/8/17

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अंतर्गत पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: राजू मुंजवार
 नाम: राजू मुंजवार
 पद: सहायक ग्रा.स-3
 विभाग: संसाधन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
 आव 5 क्र 6940
 दिनांक 28/8/17
 संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है पुष्पा 197 2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव-2
 3. वर्तमान वेतन 8540+2400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

58

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

को सिक
 28/8/17

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने स्वयं पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम पुष्पा 197
 पद सहायक सचिव-2
 विभाग संसदीय कार्य विभाग

6937
28/7/17

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **मि. सि. नेलम** 2. वर्तमान धारित पद **कॉन्सिडरेशन**
3. वर्तमान वेतन **5680 + 1900** आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **1/7/2017**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	MIL			MIL		MIL



28/7/17

यदि कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म में सही-सही विवरण देता है तो उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी।
 * प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय लेखक (आवरण) नियम, 1957 के नियम-18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में सेवा करने वाले अधिकारियों के लिए यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार (पहली) की आधिकारिक परीक्षा में यथा संभव भाग लेते हैं और उसमें वह अपने स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त की गई सम्पत्ति के विवरण के बारे में सही-सही जानकारी देते हैं।

मि. सि. नेलम
कॉन्सिडरेशन
5680 + 1900
1/7/2017

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रघुन कुमार दुबे 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-2
3. वर्तमान वेतन 10240+2400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2018

60

इस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लालिता नगर डोमर रोड ओपन	MIG-28 नर्मदा परिसर राजार्थ कालोना लालिता नगर डोमर रोड ओपन	7.56 Sq.Fect	22:00 लाख	स्वयं	बंधक	निल	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अग्रजों द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर रघुन कुमार दुबे
 नाम रघुन कुमार दुबे
 पद सहायक ग्रेड-2
 विभाग संसाधन आय विभाग